

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट) **6999** / न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- **०८/०७/२६**

जिला पदाधिकारी, गयाजी के आदेश ज्ञापांक-1235 दिनांक-25.06.2026 के आलोक में श्री आदित्य कुमार पियुष, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गयाजी को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, गयाजी का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(रंजन कुमार चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 (पार्ट) **6999** / न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- **०८/०७/२६**

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गयाजी/नगर आयुक्त, नगर निगम, गयाजी/श्री आदित्य कुमार पियुष, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गयाजी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०८/०७/२६

सरकार के उप सचिव।